



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
A-3/ई-1/2025
दिनांक 03/06/2025

स्टाफ नर्स यूनानी (पुरुष/महिला) परीक्षा—2025

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 03.06.2025

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि: 03.07.2025

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि: 10.07.2025

महत्वपूर्ण (1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है। (b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट https://otr.pariksha.nic.in से ओटीआर नम्बर प्राप्त कर सकते हैं। (c) ओटीआर नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। (2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा—O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें। (3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। (4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड-कॉपी के साथ ऑन-लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक् से प्रेस विज्ञापित के माध्यम से सूचित किया जायेगा।	(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो— (a) सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (https://otr.pariksha.nic.in) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। (b) ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। द्वितीय चरण— प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No का चुनाव करना होगा। तृतीय चरण— द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:— (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट 'प्रिन्टर आउट' पर क्लिक करके अवश्य प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरान्त 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।	में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। (7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी। (8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा। (9) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु माओ आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।									
विशेष सूचना:— (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। (ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे। 1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना यह विज्ञापन आयोग की Website https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में 'O.T.R. BASED APPLICATION' system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन ही आवेदन करें। ऑन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:— आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर "ON-LINE ADVERTISEMENTS" स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:— (i) User Instructions (ii) View Advertisement (iii) Apply User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots प्रदर्शित होंगे। "ऑन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा:—	नोट:— शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। चतुर्थ चरण— तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।	2. आवेदन शुल्क: ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:— (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग — परीक्षा शुल्क ₹ 100/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /— योग = ₹ 125 /— (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति — परीक्षा शुल्क ₹ 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /— योग = ₹ 65 /— (iii) दिव्यांगजन — परीक्षा शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /— योग = ₹ 25 /— (iv) भूतपूर्व सैनिक — परीक्षा शुल्क ₹ 40 /— + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /— योग = ₹ 65 /— (v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी — अपनी मूल श्रेणी के अनुसार 3. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स यूनानी (पुरुष/महिला) मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्रवेश के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उ0प्र0 के जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय प्रकारक) का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं उत्तर प्रदेश आयुष विभाग (यूनानी) नर्सिंग सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(4) के प्राविधानानुसार श्रेष्ठता (Merit) के अनुसार होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। 4. रिक्तियों की संख्या:— वर्तमान में उ0प्र0 आयुष विभाग (यूनानी) के अन्तर्गत स्टॉफ नर्स यूनानी (पुरुष/महिला) पद की कुल रिक्तियाँ 03 हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:—									
प्रथम चरण — 'APPLY' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि:— (i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. (रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई-मेल पर) अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी है) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।	विशेष अनुदेश (1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। (2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे प्रतिवारित (डिबार) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। (3) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है। (4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। (5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (6) अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th><th>पद का नाम</th><th>रिक्तियों की संख्या</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>स्टॉफ नर्स यूनानी (पुरुष)</td><td>01 (अनारक्षित)</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>स्टॉफ नर्स यूनानी (महिला)</td><td>02 (अनारक्षित)</td></tr> </tbody> </table> नोट— (1) वर्तमान में क्षैतिज श्रेणी के अन्तर्गत किसी भी उपश्रेणी हेतु रिक्तियाँ अधियाचित नहीं हैं। (2) रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती हैं। (3) प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की केवल ओ0ए0, ओ0एल0 एवं ए0ए0वी0 उपश्रेणियाँ ही चिन्हांकित हैं। पद की प्रकृति— समूह "ख" अराजपत्रित। वेतनमान— ग्रेड पे— रु. 4600 /— (वेतनमान— लेवल—7, पे मैट्रिक्स रु. 44900—142400 /—) 5. आरक्षण: उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा—उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये	क्रम संख्या	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	1.	स्टॉफ नर्स यूनानी (पुरुष)	01 (अनारक्षित)	2.	स्टॉफ नर्स यूनानी (महिला)	02 (अनारक्षित)
क्रम संख्या	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या									
1.	स्टॉफ नर्स यूनानी (पुरुष)	01 (अनारक्षित)									
2.	स्टॉफ नर्स यूनानी (महिला)	02 (अनारक्षित)									

गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। नोट:- (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5 /2022 / 18 / 1 /2008 / 47 / का-2 /2022, दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है- दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते की पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो। (2) शासनादेश संख्या 39 रिट / का-2 /2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या 18 / 1 /99 / का-2 /2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर 4 में दिये गये प्राविधान “यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है” को रिट याचिका संख्या- 11039 /2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर- 04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या- 475 /2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। (3) ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण-पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं-1 /2019 / 4 / 1 /2002 / का-2 / 19 टी.सी.- 11, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण / आयु मे छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। (5) किसी भी आरक्षित श्रेणी में अपने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी / उपश्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी। (6) आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (7) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी / आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी। (8) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। (9) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी / उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। 6. आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु मे छूट हेतु):- आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या-22 / 10 / 1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:- (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना / नौ सेना / वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त कर लेंगे। आपात / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो। 7. वैवाहिक प्रारिथति:- ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो। 8. शैक्षिक अर्हता:-	
(अ)	शैक्षणिक अर्हता
स्टाफ नर्स (यूनानी) के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिये निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग्य चिकित्सा एवं सर्जिकल नर्सिंग (यूनानी) में डिप्लोमा धारित करता हो। (3) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग्य मिडवाइफरी (यूनानी) में डिप्लोमा धारित करता हो। (4) यूनानी नर्स और मिडवाइफरी (धार्त्री) के रूप में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश से पंजीकरण प्रमाण- पत्र धारित करता हो।	
(ब)	अधिमानी अर्हता
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- 1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	

यूनानी पद की संगत सेवा नियमावली “उत्तर प्रदेश आयुष विभाग (यूनानी) सेवा नियमावली, 2021”
नोट- माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के पत्र सं0- परिषद-9 / 743 दिनांक 25.10.2016 द्वारा निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किया गया है। उक्त के अतिरिक्त किसी भी संस्था द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा-10) मान्य नहीं है:- 1- बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन (आन्ध्र प्रदेश)। 2- बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन गुवाहाटी, असम। 3- बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना। 4- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली। 5- छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, रायपुर। 6- काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली। 7- दयालबाग एजुकेशन इस्ट्टीयूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) आगरा। 8- गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, गोवा। 9- गुजरात सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन बोर्ड, गांधीनगर, गुजरात। 10- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी। 11- हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला, कांगड़ा। 12- जे0 एण्ड के0 स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू। 13- झारखण्ड एकेडमी काउन्सिल, राँची। 14- कर्नाटका सेकेण्डरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, बंगलौर। 15- केरला बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, तिरुवनंतपुरम। 16- महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, पुणे। 17- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश, भोपाल। 18- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल। 19- मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेघालय। 20- मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ऐंजाल। 21- नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा। 22- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा, कटक। 23- पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली। 24- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन राजस्थान, अजमेर। 25- स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, (सेकेण्डरी) एण्ड बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एग्जामिनेशन, तमिलनाडु। 26- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, अगरतला। 27- वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, कोलकता। 28- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल। 29- उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मौलवी परीक्षा, अरबी और मुंशी परीक्षा फारसी। 30- माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा। 31- राष्ट्रीय ओपेन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेण्डरी (माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छः विषयों में उत्तीर्ण की गई हो। 32- भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था / विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाईस्कूल (मैट्रीकुलेशन) अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षायें जिसके सम्बन्ध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी। 33- ऐसे छात्र / छात्रायें जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा-10) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाईस्कूल (कक्षा-10) के समकक्ष माना जायेगा। 34- गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा। 35- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मध्यमा परीक्षा कम से कम पाँच विषयों में, जिसमें भाषा के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हो, सहित उत्तीर्ण की गई हो। वर्ष-1998 से प्रभावी माना जाय।
नोट:- उक्त के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की अधिसूचना दिनांक 17.11.2020 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार।
इसी प्रकार निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा-12) के समकक्ष मान्यता प्रदान की गयी है:- 1- बोर्ड ऑफ इण्टरमीडिएट एजुकेशन (आन्ध्र प्रदेश)। 2- असम हायर सेकेण्डरी एजुकेशन काउन्सिल, गुवाहाटी। 3- गवर्नमेन्ट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेन्ट ऑफ प्री-यूनीवर्सिटी एजुकेशन, बंगलोर। 4- काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा। 5- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल 6- गुजरात सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर। 7- केरला बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, तिरुवनन्तपुरम। 8- महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, पुणे। 9- काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, मणीपुर, इम्फाल। 10- वेस्ट बंगाल काउन्सिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, कोलकता। 11- माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा। 12- उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित आलिम परीक्षा। 13- बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना। 14- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली। 15- छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, रायपुर। 16-काउन्सिल फार दी इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली। 17-दयालबाग एजुकेशन इन्स्टीटयूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग, आगरा। 18- गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, गोवा। 19- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी। 20- हिमांचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, कांगड़ा। 21- जे0 एण्ड के0 स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू। 22- झारखण्ड एकेडमी काउन्सिल, राँची।

23- माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल। 24- मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेघालय। 25- मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ऐंजाल। 26- नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा। 27- पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली। 28- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर। 29- स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन (सेकेण्डरी) एवं बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एग्जामिनेशन तमिलनाडू। 30- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, अगरतला। 31- राष्ट्रीय ओपेन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर सेकेण्डरी (उच्च माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम पाँच विषयों में उत्तीर्ण की गई हो। 32- भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था / विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षायें जिनके सम्बन्ध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी। 33- डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा संचालित प्री-डिग्री सर्टीफिकेट फार डेफ स्टूडेंट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा पाँच विषयों के साथ उत्तीर्ण की गयी हो। 34- ऐसे छात्र / छात्रायें जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) की परीक्षा के हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप मे उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) के समकक्ष माना जायेगा। 35- प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा। 36- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों मे, जिसमें भाषा के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हो, सहित उत्तीर्ण की गई हो। वर्ष-1998 से प्रभावी माना जाय।
उक्त के अतिरिक्त किसी भी परीक्षा संस्था द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा-12) मान्य नहीं है।
नोट- आवेदन Submit किये जाने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।
9. आयु सीमा- (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात उनका जन्म 02 जुलाई, 1985 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (2) अधिकतम आयु सीमा मे छूट:- (क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।
10. स्टाफ नर्स यूनानी (पुरुष/महिला) मुख्य (लिखित) परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनार्य:- (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किये जायेंगे जिसके लिये आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0 200 /- एवं आन-लाईन प्रक्रिया शुल्क रू0 25 /- योग रू0 225 /- तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति / उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रू0 80 /- एवं आन-लाईन प्रक्रिया शुल्क रू0 25 /- योग रू0 105 /- निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें आन-लाईन प्रक्रिया शुल्क रू0 25 /- मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रू 80 /- एवं ऑन-लाईन प्रक्रिया शुल्क रू0 25 /- योग रू0 105 /- निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं महिला / कुशल खिलाड़ी अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग / श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। (2) स्टाफ नर्स यूनानी (पुरुष/ महिला) मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क सबमिट / जमा करना होगा। (3) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगें जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिये आवंटित किया गया है। (4) मुख्य परीक्षा हेतु तिथि तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। (5) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
नोट:- स्टाफ नर्स यूनानी (पुरुष/महिला) मुख्य (लिखित) परीक्षा 2025 के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र / प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र / प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
11. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:- (1) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को (मुख्य परीक्षा) के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (2) आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र / अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र / अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (3) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा-3 में

उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। (4) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा। (6) कदाशय अर्थात् परीक्षा मे नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत परीक्षा में लागू रहेंगे। (7) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R. No./ Application ID, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। (8) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (9) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे। (10) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। (11) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल ब्लैक बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (12) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना सम्बन्धित गोलों को ठीक से काला करके सही-सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ह्वाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का भी प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। (13) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मा0 आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति-गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति-हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति-नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगे एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति-नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे। (14) प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी:- 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। (15) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे। (16) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो। (17) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे। (18) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

सामान्य अनुदेश

1- अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

2- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

4- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभ्यर्थियों को पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/79-बी-1-15-1(का) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6- यदि अभ्यर्थी को ऑन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग

के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

7-आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर, उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-2 व परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. in case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/department name and post name

Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

:- NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

• All Notification/Advertisements

:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

• Candidate Registration

• Fee Deposition /Reconciliation

• Submit Application Form

• Modify Submitted Application

• Candidate Dashboard (OTR Based)

:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

• Double Verification mode

• View Application Status

• Download Admit Card

• Print Duplicate Registration Slip

• Print Detailed Application Form

• List of Applications Having ANY Objections

• View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट-1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समग्र-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारीतथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर.....
दिनांक पूरा नाम.....
मुहर पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्रामतहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य कीपिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया

गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक पूरा नाम
मुहर पद नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री श्रीग्राम/कस्बा पोस्ट

ऑफिस थाना तहसील

जिला राज्य..... पिन कोड के

स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ	हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम पदनाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।
---	--

(प्रपत्र- I I)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक

तहसील जिला राज्य

ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :- आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

दिनांक:-

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण-पत्र (दिव्यांगजन प्रारूप)

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability
--

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined
 Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri
 _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age
 _____ years, male/female _____ registration No.
 _____ permanent resident of House No. _____
 Ward/Village/Street _____ Post office _____
 District _____ State _____.

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- Locomotor Disability
- Dwarfism
- Blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is _____

© he/she has _____ % (in figure) _____ percent
 (in words) permanent locomotor disability/
 dwarfism/blindness in relation to his/her _____
 (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/
 blindness in relation to his/her _____ (part of body)
 as per guidelines (.....number and date of issue
 of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document
 as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.....)	(Dr.....)	(Dr.....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
with seal	with seal	with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined
 Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri
 _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____
 years, male/ female _____ Registration No. _____
 _____ permanent resident of House No. _____
 Ward/Village/ Street _____ Post Office _____
 District _____ State _____, whose photograph is
 affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and

date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures.....percent.

In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. **Reassessment of disability is:-**

(i) not necessary,
or

(ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till

(DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Form-IV
Certificate of Disability
(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(showing face only) of
the person with disability

Certificate No. _____ **Date:** _____

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/ YY) _____ age _____ years, male/ female _____ Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above and satisfied that he/she is a case of disability.

His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. **Reassessment of disability is:-**

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after.....years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY).....

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye/both eyes

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)
--	---

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पोत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपराक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान: हस्ताक्षर

दिनांक: पूरा नाम मुहर जिलाधिकारी सील

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फॉर्म - 1 से 4

प्रारूप - 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम पता मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

